



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उOप्रO, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि/अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र पत्रांक-सOनिO-भदोही (कार्यालय भवन) निर्माण/2026-27/335/राज्य कर, दिनांक 11.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-13-05-जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि/अन्तिम किश्त के रूप में रु0 53.59 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-52/11-4-2025/1873957 दिनांक 11.03.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या-173/11-4-2025-1873957 दिनांक 24.03.2025 द्वारा जनपद-भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीOएफOएOडीO द्वारा आंकलित लागत रु0 824.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में रु0 415.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-23/2026/1/1278499/2026/11-4002(003)/5/2024 दिनांक 24.03.2026 द्वारा परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 200.00 लाख, अर्थात् कुल रु0 615.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। परियोजना की टेन्डर लागत रु0 668.59 लाख है, अतएव परियोजना हेतु रु0 53.59 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीOएफOएOडीO द्वारा आंकलित लागत रु0 824.90 लाख के सापेक्ष परियोजना की निविदा में प्राप्त मूल्य (टेन्डर लागत) के आधार पर वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-13-05-जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि/अन्तिम किश्त के रूप में ₹0 53.59 लाख (रूपये तिरपन लाख उनसठ हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, वाराणसी जोन-2, वाराणसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्प्लीशन, मानक एवं विशिष्टियों से अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, वाराणसी जोन-2, वाराणसी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. परियोजना हेतु अनुमोदित डी0पी0आर0 में उल्लिखित कार्यों/मदों/विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही प्रश्नगत परियोजना/कार्यालय भवन के हैण्डओवर की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, वाराणसी जोन-2, वाराणसी/कार्यदायी संस्था की होगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-52/11-4-2025/1873957 दिनांक 11.03.2025 तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 53,59,000 (रुपये तिरेपन लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 4059010511305 जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, वाराणसी जोन-2, वाराणसी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. सम्बंधित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग द्वारा आयुक्त राज्य कर 30प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।